144

संख्याः 652 xXXi(13)G2015

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य स्थानिक आयुक्त,
उत्तराखण्ड, 104, इन्द्र प्रकाश बिल्डिंग,
21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

**सामान्य प्रशासन विभाग** देहरादून, दिनांक 31/3/15

**विषयः स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली के भवन निर्माण हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक–57 पी0एस0–मु0स्था0आयु0/2015 दिनांक 09.03.2015 तथा शासनादेश संख्या 348/XXXi(13)G/2015 दिनांक 27.03.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन रू0 596.00 लाख (रूपये पॉच करोड़ छियानब्बे लाख मात्र) के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत अनुदान संख्या 06 के सुसंगत मुख्य लेखा शीर्षक की संलग्न बी0एम0–09 प्रपत्र के स्तम्भ 01 में उल्लिखित मानक मदों में से रू0 146.13 लाख (रूपये एक करोड़ छियालिस लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि बी0एम0–09 प्रपत्र के स्तम्भ 05 की उल्लिखित मानक मदों में पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए संलग्न एलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या H1503064933 के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त ऑपचारितायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(4) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्ययकतानुसार) से कार्य स्थल की भली भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(5) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/xiv-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(6) यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीयचरण के आगणन में समायोजित की जाए।

(7) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है उसी मद पर की जाए, एक मद का दूसरी मदों में व्यय कदापि न किया जाए।

(9) निर्माण सामग्री का प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(10) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स टैण्डर/कोटेशन विषयक नियम एवं अन्य तद्विषयक नियमों को अनुपालन किया जायेगा।

(11) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि साख–सीमा के माध्यम से आहरित कर उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड, देहरादून को नियमानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2015 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। उक्त तिथि तक इस धनराशि का पूर्व उपयोग न करने का मूलरूप से दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था तथा स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली का होगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग (अनु0–1) के शासनादेश संख्या–318/XXVII(i)/2014 दिनांक 18.03.2014 एवं शासनादेश संख्या–983/XXVII(5)/2014 दिनांक 11.12.2014 तथा मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 06 के लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत 80 सामान्य 800–अन्य भवन–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं –0101 वरूणावत पर्वत उत्तरकाशी का स्थिरीकरण 24 वृहत निर्माण कार्य के उपलब्ध बचतों में से पुर्नविनियोग करते हुए लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–80–सामान्य–800–अन्य भवन–02 स्थानिक आयुक्त कार्यालय भवन निर्माण/जीर्णोद्वार/भूमि अधिग्रहण प्रतिकर–24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या –217P/XXVII(5)/2014-15 दिनांक 31.03.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

संख्या– 652 /xxxi(13)G/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2–महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्दिरानगर, देहरादून।
3–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5–वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।
6–केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7–प्रमुख लेखाकार, सचिवालय प्रशासन देहरादून।
8–वित्त अनुभाग–1/5/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
9–निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(जे0एल0 शर्मा)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

HOD, GAD/Census (9019)

पत्र संख्या - 652/xxxi(13)G/2015

आवंटन संख्या - 006

अलोटमेंट आई डी - H1503064933

DDO Name - Finance Officer PAONew Delhi (4261) , Treasury - Delhi (6300)

आवंटन पत्र दिनांक -31-Mar-2015

1: लेखा शीर्षक 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

800 - अन्य भवन

80 - सामान्य

00 - स्थानिक आयुक्त कार्यालय के भवन निर्माण/ जीर्णोद्धार / भ

02 - स्थानिक आयुक्त कार्यालय के भवन निर्माण/ जीर्णोद्धार

Plan Voted

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 24 - वृहत निर्माण कार्य | 5000000 | 14613000 | 19613000 |
| | **5000000** | **14613000** | **19613000** |

**Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 14613000**

31/3/15

(शैलेश बगोली)
प्रभारी सचिव
सामान्य प्रशासन एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तराखण्ड शासन।

4059-80-800-0101-24

(०७८)

प्रपत्र बी॰ एम॰ –9 (भाग–एक)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

गत परिव्यय 80–सामान्य
02–स्थानिक आयुक्त कार्यालय के भवन निर्माण/जीर्णोद्धार

वित्तीय वर्ष 2014–15

(धनराशि रूपये हजार में)

| त अंतरण | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जाये | | निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जाये | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ी | आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचतें | अंतरित की जाने वाली राशि | वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि | अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/विनियोग (2–5) | लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर | वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय | अंतरित की जाने वाली राशि | वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि | अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/विनियोग (8+11) |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 50000 | 14613 | | 35387 | 4059–80–800–02–24 | 5000 | 19613 | 14613 | | 19613 |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 50000 | 14613 | | 35387 | | 5000 | 19613 | 14613 | | 19613 |

33व 134 में निर्धारित शर्तों, सीमाओं का इस पुनर्विनियोग का उल्लंघन नहीं किया गया है।

वित्त विभाग की अशा० संख्या
2170/XXVII(5)/2014-15 दि० 31·मार्च 2015

संख्याः / /2015, दिनाँकः मार्च, 2015

सेवा में,
महालेखाकार (ए॰ एण्ड ई॰),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव,
वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्याः 642/xxxi(13)G2015
देहरादून दिनाँकः 31 मार्च, 2015

कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
त्तराखण्ड, देहरादून।
ड शासन, देहरादून।
लक्ष्मी रोड, देहरादून।
चना विकास निमग लिमिटेड, देहरादून।
क्ष्मी रोड, देहरादून।

आज्ञा से,
(जे.एल. शर्मा)
उप सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।